# अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
## पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4(पथ)–आरोप–21 / 2019　　　　　　पटना, दिनांक :–

**कार्यालय आदेश**

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत माड़ीपुर–ओभरब्रिज–सरैयागंज टावर (मुजफ्फरपुर–रेवाघाट) पथ में कराये गये कार्य की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–7553(S)We दिनांक–13.08.2015 एवं स्मार पत्रांक–9733(S) दिनांक–13.10.2015 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री शशि शेखर चौधरी, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर सम्प्रतिः कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर, दरभंगा के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक–26.10.2017 की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

(2) प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि / अनियमितता पायी गयी:

(i) पथ के कि०मी० 2 रे एवं 3 रे में कराये गये PQC कार्य का औसत Comprcssive Strength 130.47 $Kg/Cm^2$ पाया गया, जबकि प्रावधान 280$Kg/Cm^2$ का है।

(ii) पथ के कि०मी० 2 रे एवं 3 रे में कराये गये DLC कार्य में Cement: Sand: Chips का औसत अनुपात 1: 11.47: 15.96 पाया गया जबकि प्रावधन 1: 4.2 :9 का है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोंपरांत आलोच्य पथ के 2 रें एवं 3 रें कि०मी० में कराये गयें PQC कार्य का औसत Comprcssive strength प्रावधान से कम पाये जाने एवं एवं DLC कार्य में Cement: Sand: Chips का औसत अनुपात निर्धारित प्रावधान एवं टॉलरेन्स लिमिट से कम पाये जाने के लिए श्री चौधरी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुशंसा की गई।

तद्‌लोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा केक्रम में श्री चौधरी द्वारा दिनांक–26.10. 2017 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के उपनियम -v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैं:

(i) **"तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** ।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, संख्या–1, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शशि शेखर चौधरी, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 3024 (E)

पटना, दिनांक :– 15/4/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11/4/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

11/4